Annexure-4

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2019/आश्विन 8, 1941
No. 572] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2019/ASVINA 8, 1941

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

सा. का. नि. 697(अ).—केंद्रीय सरकार, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 17क की उप-धारा (1क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम - छत्तीसगढ खनिज विकास निगम लिमिटेड (एन्. सी. एल.), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकार का एक पब्लिक सेक्टर का उपक्रम) और मैसर्स छत्तीसगढ खनिज विकास निगम लिमिटेड (छत्तीसगढ़ सरकार का एक पब्लिक सेक्टर का उपक्रम) का एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से खनिज लौह अयस्क के पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन करने के लिए बैलाडिला आरक्षित वन निक्षेप सं. 4, जिला दक्षिणी बस्तर, छत्तीसगढ में ऐसे आरक्षित क्षेत्र के नीचे यथानिर्दिष्ट सीमा (अक्षांश और देशांतर द्वारा सीमांकित) के भीतर पड़ने वाले 646.596 हेक्टेयर के क्षेत्र को पांच वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित करती है :-

खनिज का नाम	स्थिति	क्षेत्र	पिलर	अक्षांश	देशांतर
लौह अयस्क	बैलाडिला आरक्षित वन, निक्षेप सं. 4 जिला दक्षिण बस्तर, छत्तीसगढ़	646.596 हैक्टेयर	A	81°12'10.40"	18°43'45.70"
			B	81°13'10.80"	18°43'40.90"
			C	81°13'08.80"	18°43'05.90"
			D	81°13'05.50"	18°43'05.80"
			E	81°12'57.30"	18°41'27.70"
			F	81°12'28.80"	18°41'52.90"
			G	81°11'57.70"	18°41'58.70"

[फा. सं. 4/2/2018-एम VI]

निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

G.S.R. 697(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 17A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government, after consultation with the State Government of Chhattisgarh hereby reserves an area of 646.596 hectares in Bailadila reserve forest, Deposit No. 4, District South Bastar, Chhattisgarh for mineral iron ore for undertaking prospecting or mining operations through M/s National Mineral Development Corporation – Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited (NCL), a joint venture of National Mineral Development Corporation Limited (a Central Government Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Steel), and Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited (a Government of Chhattisgarh Public Sector Undertaking), for a period of five years lying within the boundary (demarcated by latitude and longitude) of such reserve area as specified below:-

Name of Mineral	Location	Area	Pillar	Longitude	Latitude
Iron ore	Bailadila reserve forest, deposit No. 4, District South Bastar, Chhattisgarh	646.596 hects	A	81°12'10.40"	18°43'45.70"
			B	81°13'10.80"	18°43'40.90"
			C	81°13'08.80"	18°43'05.90"
			D	81°13'05.50"	18°43'05.80"
			E	81°12'57.30"	18°41'27.70"
			F	81°12'28.80"	18°41'52.90"
			G	81°11'57.70"	18°41'58.70"

[F. No. 4/2/2018-M.VI]

NIRANJAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.03 11:09:58 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022021-225248
CG-DL-E-18022021-225248

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 18, 2021/माघ 29, 1942
No. 79] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18, 2021/MAGHA 29, 1942

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 119(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 17क की उप-धारा (1क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार से परामर्श से भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 697(अ) तारीख 30 सितंबर, 2019 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना में "खनिज का नाम" शब्दों के साथ आरंभ होकर और "18^{0} 41'58.70" उत्तर आंकड़े के साथ अंत होने वाले के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

खनिज का नाम	स्थिति	क्षेत्र	पिलर	अक्षांश	देशांतर
लौह अयस्क	बैलाडिला आरक्षित वन, निक्षेप सं. 4 जिला दक्षिण बस्तर, छत्तीसगढ़	646.596 हेक्टेयर	ए	81^{0}12'03.25650"पूर्व	18^{0}43'38.32617" उत्तर
			बी	81^{0}13'04.84428"पूर्व	18^{0}43'38.52758" उत्तर

			सी	81°13'06.24991"पूर्व	18°43'12.30677" उत्तर
			डी	81°13'03.60782"पूर्व	18°43'12.27943" उत्तर
			ई	81°13'07.02661"पूर्व	18°41'26.17920" उत्तर
			एफ	81°12'31.89279"पूर्व	18°41'48.22195" उत्तर
			जी	81°12'02.90192"पूर्व	18°41'50.38796" उत्तर

[फा. सं. 4/2/2018-एम VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2021

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 17A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) the Central Government in consultation with the State Government of Chhattisgarh, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Mines, dated 30th September, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number 697(E), dated the 30th September, 2019, namely:

2. In the said notification, beginning with the words "Name of Mineral" and ending with the figure "18°41'58.70" N", the following shall be substituted:

Name of Mineral	Location	Area	Pillar	Longitude	Latitude
Iron ore	Bailadila reserve forest, deposit No. 4, District South Bastar, Chhattisgarh	646.596 hects.	A	81°12'03.25650"E	18°43'38.32617"N
			B	81°13'04.84428"E	18°43'38.52758"N
			C	81°13'06.24991"E	18°43'12.30677"N
			D	81°13'03.60782"E	18°43'12.27943"N
			E	81°13'07.02661"E	18°41'26.17920"N
			F	81°12'31.89279"E	18°41'48.22195"N
			G	81°12'02.90192"E	18°41'50.38796'N

[F. No. 04/02/2018-M.VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.18 19:10:36 +05'30'

By Speed Post

छत्तीसगढ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर–492 002

क्रमांक एफ 2–20/2005/12, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक जून, 2021 26 JUN 2021

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड(एनसीएल),
ग्रीन विले सिटी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
सेजबहार, बोरिया कला, शदाणी दरबार के सामने,
एनएच–30, रायपुर, छत्तीसगढ़ –492 015.

विषयः– जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला, डिपॉजिट नं. 4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु–मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल)।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक No. NCL/HO/Dep-4/LEASE/2017/597, Date 09.10.2019.

जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर क्षेत्र में खनिज आयरन ओर का खनिपट्टा हेतु मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) द्वारा दिनांक 21.11.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रश्नाधीन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

2.1 एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) एक संयुक्त उपक्रम की कम्पनी (JVC) है जिसमें एनएमडीसी एवं सीएमडीसी लिमि. का क्रमशः 51:49 की भागीदारी है। राज्य के स्पंज/स्टील उद्योगों की लौह अयस्क की आवश्यकता की आपूर्ति संबंधी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इस संयुक्त उपक्रम कम्पनी (JVC) द्वारा बैलाडीला डिपाजिट क्रमांक–04 का विकास किये जाने हेतु एनएमडीसी एवं सीएमडीसी मे मध्य सहमति हुई है और एक औपचारिक सहमति (मेमोरेडम आफ अडरस्टैडिंग) निष्पादित किया गया है।

2.2 प्रश्नाधीन क्षेत्र में एनएमडीसी के पक्ष में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र. 4043/4381/12, दिनांक 03.09.1971 द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किया गया था। पूर्वेक्षण कार्य के आधार पर एनएमडीसी ने क्षेत्र पर 107 मिलियन टन लौह अयस्क के माइनेबल भण्डार प्रमाणित किये हैं।

2.3 एनएमडीसी द्वारा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के बैलाडिला स्थित डिपाजिट क्रमांक–4 के वन कक्ष कमांक 659, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 672 एवं 676, 778 (टोपोशीट 65 एफ/2) के क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 27.02.1991 प्रस्तुत किया गया, जिस पर निर्णय लेते हुए विभागीय पत्र दिनांक 30.09.2010 के माध्यम से पूर्वानुमोदन प्रस्ताव भारत सरकार, खान मंत्रालय को प्रेषित किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, खान मंत्रालय ने अपने पत्र कमांक 5/103/2010–M.IV, दिनांक 30.11.2011 द्वारा 20 वर्ष की अवधि के लिए खनिपट्टा स्वीकृत किए जाने हेतु एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा–5(1) के तहत पूर्वानुमोदन एवं धारा–6(1)(बी) के तहत् निर्धारित सीमा में छूट निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त के तहत प्रदान की गई :–

"There shall be no change in the equity ratio of 51:49 in the Joint Venture between M/s National Mineral Development Corporation Ltd. and M/s Chhattishgarh Mineral Development Corporation without the approval of the Central Government."

2.4 उपरोक्त के संदर्भ में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.01.2012 द्वारा एनएमडीसी को खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आईबीएम द्वारा अनुमोदित मायनिंग प्लान एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् आवश्यक अनुमति वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु (LoI) लेख किया गया।

30/06/2021
AGM(Mech), NCL

2.5 एनएमडीसी ने पत्र दिनांक 13.08.2013 के माध्यम से भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र दिनांक 26.07.2013 द्वारा रकबा 646.596 हेक्टेयर क्षेत्र का अनुमोदित मायनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया, किन्तु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वांछित वन एवं पर्यावरणीय अनुमति प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.6 विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.01.2012 द्वारा जारी LoI के संदर्भ में एनएमडीसी द्वारा वन एवं पर्यावरणीय सम्मितियॉ आदि MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित 2015) की धारा–10A(2)(c) अनुसार निर्धारित तिथि 11.01.2017 तक प्रस्तुत नही की जा सकी। अतएव MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित 2015) की धारा–10A(2)(c) सहपठित खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम–8(4) के तहत् विषयक खनिपट्टा प्रकरण में खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी नही किया गया जो कि अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत् स्वमेव समाप्त हो गया।

2.7 एनएमडीसी द्वारा उक्त के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के समक्ष प्रकरण क्रमांक W.P.(c) No. 100/2017., NMDC Ltd Vs UoI & Others दायर किया गया। एनएमडीसी द्वारा याचिका वापस लेने के कारण माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2017 द्वारा उक्त रिट पिटिशन dismissed as withdrawn किया गया है।

2.8 संयुक्त उद्यम कम्पनी (JVC) एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) द्वारा उपर्युक्त क्षेत्र जिला बस्तर के बैलाडीला आयरन ओर डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर को MMDR Act, 1957(यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(1A) के तहत् खनिपट्टा स्वीकृति हेतु दिनांक 21.11.2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके संदर्भ में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 17.01.2018 द्वारा धारा–17A(1A) के तहत् उपर्युक्त क्षेत्र को एनसीएल के पक्ष में आरक्षित करने हेतु भारत सरकार, खान मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

2.9 भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 द्वारा मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पक्ष में MMDR Act, 1957(यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(1A) के तहत् बैलाडीला डिपॉजिट क्रमांक–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर के निम्नलिखित खेत्र को 05 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित किया गया है :–

खनिज का नाम	स्थिति	क्षेत्र	पिलर	अक्षांश	देशांतर
लौह अयस्क	बैलाडीला आरक्षित वन, निक्षेप सं. 4 जिला दक्षिण बस्तर, छत्तीसगढ़	646.596 हेक्टेयर	A	81°12'10.40"	18°43'45.70"
			B	81°13'10.80"	18°43'40.90"
			C	81°13'08.80"	18°43'05.90"
			D	81°13'05.50"	18°43'05.80"
			E	81°12'57.30"	18°41'27.70"
			F	81°12'28.80"	18°41'52.90"
			G	81°11'57.70"	18°41'58.70"

2.10 उक्त के संदर्भ में एनसीएल द्वारा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के बैलाडीला आयरन ओर डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर क्षेत्र को MMDR Act, 1957(यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(1A) के तहत् खनिज लौह अयस्क के खनिपट्टा स्वीकृति हेतु दिनांक 21.11.2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ ने अपने प्रस्ताव दिनांक 29.04.2020 द्वारा इस विभाग को प्रेषित किया।

2.11 उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 02.12.2020 द्वारा एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पक्ष में पैरा–2.9 की तालिका में उल्लेखित क्षेत्र पर MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(2A) के तहत 05 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया जाकर क्षेत्र में खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2.12 एनसीएल के द्वारा दिनांक 28.08.2020 को इस विभाग को पत्र प्रेषित कर प्रस्तावित **LoI** (खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आशय–पत्र) के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध किया गया कि विषयांकित क्षेत्र का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु जारी किये जाने वाले आशय पत्र में एनएमडीसी के द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र को किये गये डीजीपीएस सर्वेक्षण से प्राप्त को–ऑर्डिनेट्स एवं भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना में दर्शित को–ऑर्डिनेट्स में विभिन्नता पाये जाने के कारण तथा डीजीपीएस सर्वेक्षण से प्राप्त को–ऑर्डिनेट्स वैज्ञानिक व तकनीकि रूप से सामान्य को–ऑर्डिनेट्स से अधिक उपयुक्त एवं त्रुटियों से रहित होने के फलस्वरूप डीजीपीएस को–ऑर्डिनेट्स के आधार पर खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आशय पत्र जारी किये जाने हेतु इस विभाग से अनुरोध किया गया।

2.13 उक्त पत्र में निहित तथ्यों का परीक्षण किये जाने उपरान्त तथा जारी अधिसूचना व एनएमडीसी के द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र को डीजीपीएस को–ऑर्डिनेट्स मं व्यापक भिन्नता होने के फलस्वरूप भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 में आवश्यक संशोधन हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.2019 के माध्यम से भारत सरकार, खान मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया तथा पुराने वन कंपार्टमेंट के स्थान पर नये वन कंपार्टमेंट नंबरों के आधार पर संशोधन करते हुए इस विभाग के प्रस्ताव पत्र दिनांक 26.12.2020 पर यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 26.03.2021 द्वारा भारत सरकार, खान मंत्रालय को प्रेषित किया गया।

2.14 भारत सरकार, खान मंत्रालय के पत्र क्रमांक 4/2/200–M.VI, दिनांक 09.04.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि इस विभाग के प्रस्ताव दिनांक 26.12.2020 एवं संशोधित पत्र दिनांक 26.03.2021 में निहित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 में आवश्यक संशोधन किया जाकर G.S.R. No. 119(E), दिनांक 18.02.2021 को संशोधित अधिसूचना जारी कर दिया गया है।

2.15 भारत के राजपत्र प्रकाशन G.S.R. No. 119(E), दिनांक 18.02.2021 को संशोधित अधिसूचना के परिपालन में मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी (एनसीएल) के पक्ष में MMDR Act, 1957 की धारा–17A(1A) के तहत् बैलाडीला डिपॉजिट क्रमांक–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर के निम्नलिखित क्षेत्र को 05 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क के पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन करने के लिए आरक्षित किया गया है :–

खनिज का नाम	स्थिति	क्षेत्र	पिलर	अक्षांश	देशांतर
1.	2.	3.	A	81°12'03.25650"E	18°43'38.32617"N
लौह अयस्क	बैलाडीला आरक्षित वन निक्षेप क्रमांक–4 जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़	646.596 हेक्टेरयर	B	81°13'04.84428"E	18°43'38.52758"N
			C	81°13'06.24991"E	18°43'12.30677"N
			D	81°13'03.60782"E	18°43'12.27943"N
			E	81°13'07.02661"E	18°41'26.17920"N
			F	81°12'31.89279"E	18°41'48.22195"N
			G	81°12'02.90192"E	18°41'50.38796"N

2.16 एनसीएल के पत्र दिनांक 19.03.2021 के साथ वन मंडलाधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के पत्र दिनांक 26.02.2021 अनुसार खनिपट्टा स्वीकृति हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वनमंडल का नाम	वन कक्ष क्रमांक (पुराना)	वन कक्ष क्रमांक (नया)	कुल रकबा (हे. में)	खनिपट्टा हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	दक्षिण परिक्षेत्र बचेली	665	1832	273.155	9.052
2		664	1833	190.017	104.332
3		663	1886	368.585	45.239
4		662	1885	389.901	160.862
5		666	1834	212.612	140.372
6		659	1842	193.670	32.917
7		667	1841	316.004	153.310
8		676	1826	232.561	0.512
			योग	2176.505	646.596

3/ भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.02.2021 अनुसार शासकीय उपक्रम की कंपनी मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पक्ष में MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(1A) के तहत् बैलाडीला डिपॉजिट क्रमांक–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टेयर क्षेत्र को 05 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन करने के लिए आरक्षित किया गया है। क्षेत्र में मेसर्स एनएमडीसी लिमि. के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत था। पूर्वेक्षण कार्य के आधार पर एनएमडीसी ने क्षेत्र पर 107 मिलियन टन लौह अयस्क के माइनेबल भण्डार प्रमाणित किये है। प्रश्नाधीन क्षेत्र में लौह अयस्क खनन हेतु भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर ने पत्र दिनांक 26.07.2013 द्वारा मायनिंग प्लान अनुमोदित किया गया है।

4/ अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पक्ष में पैरा–2.15 एवं 2.16 की तालिका में उल्लेखित क्षेत्र पर MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित 2015) की धारा–17A(2A) के तहत 05 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया जाकर क्षेत्र में खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

5/ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जारी की जा रही इस अनुमति से उपर्युक्त आवेदित क्षेत्र पर प्रवेश करने या खनन कार्य करने का कोई अधिकार कंपनी को प्राप्त नहीं होगा।

संलग्नः–नक्शा।

26/06/20

(कुन्दन कुमार बंजारे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
खनिज साधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 2–20/2005/12, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एफसी डिवीजन) पर्यावरण भवन सीजीओर काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, दूसरी मंजिल, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार ऑफिस कॉम्पलेक्स, पोस्ट विधान सभा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
5. महानिदेशक, सेफ्टी ऑफ माईन्स, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
6. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़।
7. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खनिज भवन 10–3–311/ए, कैस्टल हिल्स मासाब टैंक, हैदराबाद।
8. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, जेल रोड़, रायपुर।
9. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सोनाखान भवन, रिंग रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़,
10. कलेक्टर, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

11. गार्ड फाईल।

हस्ता/–
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

D:\MRD 2020\MRD\My District 2020\Dantewara\Letter\Let F 2-20-2005-12-Dep-4 NCL.doc

By Speed Post

छत्तीसगढ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर–492 002

क्रमांक एफ 2–20/2005/12, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 0 7 AUG 2021

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड(एनसीएल),
ग्रीन विले सिटी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
सेजबहार, बोरिया कला, शदाणी दरबार के सामने,
एनएच–30, रायपुर, छत्तीसगढ़ –492 015.

विषयः– जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला, डिपॉजिट नं. 4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु–मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल)।

संदर्भः– 1. इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.06.2021.
2. आपका पत्र क्रमांक No. NCL/HO/Dep-4/Lease/2020/878, Date 15.07.2021.
3. आईबीएम, रायपुर पत्र क्र. RPR-1309/01/2016-MP, Date14.07.2021.

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पत्र दिनांक 15.07.2021 तथा भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) रायपुर के पत्र दिनांक 14.07.2021 के परिप्रेक्ष्य में जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला, डिपॉजिट नं. 4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु जारी आशय पत्र दिनांक 26.06.2021 के अनुक्रम में प्रश्नाधीन क्षेत्र हेतु खनिज (परमाणु, हाइड्रो कार्बन और ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम–13 के तहत् भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित मायनिंग प्लान प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2/ इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.06.2021 द्वारा जारी आशय पत्र में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

07/08/2021

(कुन्दन कुमार बंजारे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
खनिज साधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 2–20/2005/12, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एफसी डिवीजन) पर्यावरण भवन सीजीओर काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, दूसरी मंजिल, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार ऑफिस कॉम्पलेक्स, पोस्ट विधान सभा, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर उनके पत्र क्र. RPR-1309/01/2016-MP, Date14.07.2021 के संदर्भ में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

D:\backup 1\MRD 2020\MRD\My District 2020\Dantewara\Letter\Let F 2-20-2005-12-Dep-4 NCL.doc

AGM(Mech), NCL
07/08/2021

5. महानिदेशक, सेफ्टी ऑफ माईन्स, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
6. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़।
7. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खनिज भवन 10–3–311/ए, कैस्टल हिल्स मासाब टैंक, हैदराबाद।
8. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, जेल रोड़, रायपुर।
9. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सोनाखान भवन, रिंग रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़,
10. कलेक्टर, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

11. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

By Speed Post

छत्तीसगढ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर–492 002

क्रमांक एफ 2–20/2005/12, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 MAY 2022

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड(एनसीएल),
ग्रीन विले सिटी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
सेजबहार, बोरिया कला, शदाणी दरबार के सामने,
एनएच–30, रायपुर, छत्तीसगढ़–492015.

P. K. Verma 17/05/2022
AGM(MKtg)

विषयः– जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला, डिपॉजिट नं.–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु–मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल)।

संदर्भः– 1. इस विभाग का समसंख्यक आशय पत्र दिनांक 26.06.2021 तथा 07.08.2021.
2. आपका पत्र क्रमांक No. NCL/HO/Dep-4/Lease/2021/970, Date 16.12.2021.

––:0:––

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के संदर्भित पत्र दिनांक 16.12.2021 के माध्यम से विभागीय पत्र दिनांक 26.06.2021 द्वारा जारी LoI के संदर्भ में पर्यावरण स्वीकृति हेतु MoEF & CC में दिनांक 30.11.2021 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिस पर MoEF & CC द्वारा ToR जारी करने हेतु दिनांक 14.12.2021 को एजेण्डा पॉइन्ट 1.4 के माध्यम से पॉवर पॉइंट प्रस्तुति को कहा गया उक्त प्रस्तुति के दौरान EAC कमिटी की अनुशंसा अनुसार विभाग द्वारा जारी LoI की अवधि जो 05 वर्ष है उसे MMDR, (Amenndment) Act, 2015 की धारा–8(A)(2) एवं खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 यथासंशोधित 2021 के नियम–73 के तहत 50 वर्ष का सांकेतिक अनुमोदन प्रदान करने जिससे वन एवं पर्यावरण स्वीकृति 50 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त की जा सके, बाबत् NCL द्वारा अनुरोध किया गया है।

2/ मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पत्र दिनांक 16.12.2021 के परिप्रेक्ष्य में जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला, डिपॉजिट नं. 4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु जारी विभागीय समसंख्यक आशय पत्र दिनांक 26.06.2021 तथा 07.08.2021 के अनुक्रम में एनसीएल के आवेदन दिनांक 16.12.2021 पर संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 11.03.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि एमएमडीआर एक्ट, 1957 (यथा संशोधित) की धारा–17A(2C) के तहत् राज्य शासन को खनिपट्टा स्वीकृति का अधिकार है। उक्त अधिनियम की धारा–17A(2A) एवं धारा–17A(4) के प्रावधानों के तहत् आरक्षण अवधि के भीतर खनिपट्टा स्वीकृत किया जाना है तथापि खनिपट्टा अवधि एमएमडीआर एक्ट, 1957 (यथा संशोधित) की धारा–8(A)(2) के तहत् परिभाषित होगी।

3/ एनसीएल के पत्र दिनांक 30.11.2021 के द्वारा भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक दंतेवाड़ा/लौह/खयो–1292/2021–रायपुर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा प्रश्नाधीन क्षेत्र बैलाडीला डिपॉजिट–4 का अनुमोदित माईनिंग प्लान (**Working proposal period**-From 1st Year To 5th Year) दिनांक 24.09.2021 को प्रस्तुत किया गया है।

4/ भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 18.02.2021 द्वारा NCL के पक्ष में लौह अयस्क के पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन के लिये डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र को धारा–17A(1A) के तहत 05 वर्षो के लिये आरक्षित किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्र दिनांक 02.12.2020 एवं संशोधित पत्र दिनांक 26.06.2021 द्वारा NCL के पक्ष में MMDR Act, 1957 (यथासंशोधित 2015) की धारा–17A(2A) के तहत 05 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया जाकर क्षेत्र में खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है।

5/ शासकीय कपनी को क्षेत्र आरक्षण किये जाने हेतु एमएमडीआर एक्ट 1957 (यथासंशोधित) की धारा–17A(1A) के प्रावधान निम्नानुसार है :–

Reservation of area for purpose of conservation-

"17A(1A) *"The Central Government may in consultation with the State Govermant, reserve any area not already held under any prospecting licence or mining lease, for undertaking prospecting or mining operation through a government company or corporation owned of controlled by it, and where it proposes to do so, it shall, by notification in the Official Gazatte, specity the boundrys of such area and the mineral or minerals in respect of which such area will be reserved."*

उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना/प्रावधान अनुसार भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 18.02.2021 द्वारा NCL के पक्ष में लौह अयस्क के पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन के लिये प्रश्नाधीन क्षेत्र डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र को धारा–17A(1A) के तहत 05 वर्षो के लिये आरक्षित किया गया है।

6/ Ministry of Law and Justice द्वारा The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 में संशोधन करते हुए, The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 जारी किया है, जो भारत का राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 28.03.2021 से प्रभावशील है जिसके अंतर्गत शासकीय कंपनियों को आरक्षण उपरांत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनिपट्टा अथवा कम्पोजिट लाइसेंस दिये जाने के संबंध में धारा–17A(2A) में निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया है :–

Reservation of area for purpose of conservation-

17*A(2A)* *"Where in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) or sub-section (2), the central Government or the State Government, as the case may be reserves any area for undertaking prospecting or mining operations or prospecting operations followed by Mining operations, the State Government shall grant prospecting licence, mining lease or composite licence, as the case may be, in respect of such area to such government company or corporation within the period specified in this section:''*

7/ एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा–8A(2) में खनिपट्टा अनुदत्त करने की कालावधि के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान दिये गये है :–

Period of grant of a mining lease for minerals other than coal, lignite and atomic minerals.

8A(2) *"On and from the date of the commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, all mining lease shall be granted for the period of fifty years.''*

8/ Ministry of Mines द्वारा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 में संशोधन करते हुए, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जारी किया गया है, जो भारत का राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 02.11. 2021 से प्रभावशील है, जिसके अंतर्गत सरकारी कंपनियों को प्रदत्त खनन पट्टे की अवधि के संबंध में नियम, 73(1) में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है :–

73 .Period of mining lease granted to Governmet companies or corporation on or after 12th January,- 2015

"(1) All mining leases granted to a Government company of corporation for minerals shall be for a period of fifty years."

9/ उपर्युक्त पैरा में वर्णित तथ्यों एवं एमएमडीआर एक्ट, 1957 (यथा संशोधित) की धारा–8A(2), धारा–17A(2A) तथा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 के नियम, 73(1) के प्रावधानों के तहत् विचारोपरांत राज्य शासन, एतद्द्वारा, जारी आशय पत्र दिनांक 26.06.2021 तथा 07.08.2021 के अनुक्रम में मेसर्स एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के पक्ष में जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बैलाडीला डिपॉजिट–4 के कुल रकबा 646.596 हेक्टर क्षेत्र पर 50 वर्ष की अवधि के लिए खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक निर्णय लिया जाकर निम्नलिखित शर्तों के अधीन संशोधित आशय पत्र जारी करता है।

9.1 NCL द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से विषयांतर्गत क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय अनुमति/स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 के तहत 05 वर्षों के लिये आरक्षित अवधि के भीतर खनिपट्टा स्वीकृति की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

9.2 भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन आवश्यक वन एवं पर्यावरणीय अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जारी किये जाने वाले आशय–पत्र से NCL को आवेदित क्षेत्र पर प्रवेश करने या खनन कार्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जब तक कि NCL को क्षेत्र में भूमि प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती।

10/ NCL को प्रश्नाधीन क्षेत्र का खनिपट्टा स्वीकृत किये जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना होगा :–

10.1 NCL को राज्य शासन के साथ खनिपट्टा का अनुबंध निष्पादन एवं माईन डेव्हलपमेंट एण्ड प्रोडक्शन एग्रीमेंट (MDPA) का निष्पादन करना होगा।

10.2 NCL द्वारा राज्य सरकार को एमएमडीआर एक्ट, 1957 (यथा संशोधित) की अनुसूची–5 में दी गई दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

10.3 NCL द्वारा खनिज(परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 के नियम, 74(1) एवं 74(2) के प्रावधानों के तहत निर्धारित अन्य राशि का संदाय करेगा।

10.4 NCL द्वारा किसी विधि के अधीन केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित कर/लेवी राशि का भुगतान केन्द्रीय/राज्य सरकार को किया जाएगा।

10.5 NCL द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान में उल्लेखित शर्तो तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन प्राप्त वन एवं पर्यावरणीय अनुमति/स्वीकृति का पालन करेगा।

10.6 NCL द्वारा आवेदित क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल (यदि कोई हो तो) तथा मार्ग के समीप उत्खनन का कार्य प्रतिबंधित दूरी को छोड़ते हुए किया जाएगा।

11/ इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.06.2021 तथा 07.08.2021 द्वारा जारी आशय पत्र में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4/5/22

(पुष्पा साहू)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
खनिज साधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 2–20/2005/12, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एफसी डिवीजन) पर्यावरण भवन सीजीओर काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, दूसरी मंजिल, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार ऑफिस कॉम्पलेक्स, पोस्ट विधान सभा, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर उनके पत्र क्र. RPR-1309/01/2016-MP, Date14.07.2021 के संदर्भ में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. महानिदेशक, सेफ्टी ऑफ माईन्स, सीपत रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
6. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़।

7. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खनिज भवन 10–3–311/ए, कैस्टल हिल्स मासाब टैंक, हैदराबाद।
8. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, जेल रोड़, रायपुर।
9. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सोनाखान भवन, रिंग रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़,
10. कलेक्टर, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

11. गार्ड फाईल।

हस्ता./-
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग